

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अधीनस्थों के बीच होकर तहसीलदार कोटपुलवा की ओर से पत्रावली प्रकृत प्रश्नात (नायब तहसीलदार कोटपुलवा) ने उपस्थित होकर प्रश्नात प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छोड़ एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से सम्बन्धित मू-आवटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्शाते जाते पेश किये।

हमने पत्रावली पर विचार किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का अवलोकन किया। अधीनस्थ की ओर से पत्रावली पर रेस्पॉन्डेंट्स को मू-आवटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटित मू-आवटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर किया है। अब अधीनस्थों की ओर से पत्रावली के उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया अलाटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अधीनस्थों को आवंटन की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही मन्सूख हो गया है तो प्रश्नात प्रकरण में किसी प्रकार की अप्रिम कठौतवाही की जाना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली पर प्रकृत द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल बुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुलवा (जयपुर)

